



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
Email: jdbed.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक:—एफ.24(NOC26-27)/ITEP/बी.एड./आकाशि/2026

दिनांक:— ई—हस्ताक्षरित

**आदेश**

पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के द्वारा जारी मान्यता आदेश क्रमांक NCTE/WRC/2627202509162543/RAJASTHAN/2025/Recognition Order दिनांक 01.06.2026 के अनुसरण में आई.टी.ई.पी. के अन्तर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु निम्नलिखित निजी महाविद्यालय को सत्र 2026—27 से अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र अधोलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा जारी किया जाता है:—

Sr. No.	Institute Name	Discipline	Stage(s)	Intake	Duration of the Programme	Co-Ed/ Women
1.	Shri Krishan Girls College, By Pass Road, Kanwat, Khandela, Kanwat, Sikar, Rajasthan-332708	B.A.B.Ed.	Secondary	1 unit (50 seats per unit)	4 year	Women
		B.Sc.B.Ed.	Secondary	1 unit (50 seats per unit)	4 year	

निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अधोलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें:—

- निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
- प्रभावी एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन अनुसार योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
- निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।
  - एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश,
  - राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
  - अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
  - संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या
  - अन्य आवश्यक सभी सूचनाएं
- प्रभावी एनसीटीई रेगुलेशन की पालना सुनिश्चित करें।

उपयुक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

(नथमल डिडेल)  
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- रजिस्ट्रार, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
- क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075।
- सचिव/प्राचार्य, संबंधित संस्था/महाविद्यालय।
- रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

Signature valid

Digitally signed by Nathmal Didel  
Designation: Commissioner  
Date: 2026.06.22 17:22:21 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
22979847



M e-Sign